

प्रेस नोट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर दिनांक 06.02.2024

गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा हत्या संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक पिपराइच के नेतृत्व में उ0नि0 शैलेन्द्र मिश्रा मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 91/2024 धारा 304 भादवि से संबंधित अभियुक्त 1. पिन्टू उर्फ बन्टी निषाद पुत्र सुदर्शन निषाद निवासी भवरामल थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर वर्तमान पता लगडी गुलरिया थाना पिपराइच गोरखपुर को गिरफ्तारी किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

अभियुक्त (आवेदिका/मृतक के पुत्र) द्वारा आवेदिका के पति को दिनांक 05.02.2024 को पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट के दौरान पीडित के सिर पर ईट से मार देना, जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता-

पिन्टू उर्फ बन्टी निषाद पुत्र सुदर्शन निषाद निवासी भवरामल थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर हा0मु0 लगडी गुलरिया थाना पिपराइच गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 91/2024 धारा 304 भादवि थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

बरामदगी

घटना में पर्युक्त आला कल्ल (ईट)

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 शैलेन्द्र मिश्रा थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
2. का0 राजीव कुमार थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर